भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1223

जिसका उत्तर शुक्रवार 27 जुलाई, 2018 को दिया जाना है

**आम आदमी को किफायती और सुगम्य न्याय**

**1223. कुमारी शैलजा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आम आदमी को किफायती और सुगम्य न्याय उपलब्ध कराने के लिए सरकार की उपलब्धि का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ग) :** सरकार द्वारा देश में आम आदमी को सस्ते और सरल न्याय उपलब्ध कराने के लिए उपाय किया गया है । इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात:-(i) सरकार ने राज्‍य विधिक सेवा प्राधिकरणों और राज्‍य सरकारों के साथ भागीदारी में पूर्वोत्‍तर के आठ राज्यों अर्थात् असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्‍किम और जम्‍मू-कश्‍मीर राज्‍य में वर्ष 2012 में न्‍याय परियोजना की पहुंच को क्रियान्‍वित किया है । परियोजना के अधीन, इन राज्‍यों में कईं विधिक सहायता और साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहें हैं। सरकार ने यू एन डी पी के साथ भागीदारी में आठ राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्‍य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र में वर्ष 2009 से वर्ष 2017 तक न्याय की पहुंच पर अन्‍य परियोजना को भी क्रियान्यवित किया है । परियोजना के अधीन पैनल वकीलों, परा विधिक स्वयंसेवियों ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण तथा भवन क्षमता के लिए आश्वस्त किया गया था ।

(ii) अप्रैल, 2017 में सरकार ने तीन नए विधिक सशक्तीकरण पहलुओं अर्थात् टेली विधि, जनहित विधिक सेवा तथा न्याय मित्र को प्रारंभ किया है । टेली विधि स्कीम को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 में यथाविनिर्दिष्ट सीमांत वर्ग के व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए देश के 11 राज्यों में 1800 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ किया गया है । आज की तारीख में स्कीम के अधीन 26,157 रजिस्ट्रकृत मामलों में से 22,950 मामलों में विधिक सलाह प्रदान की गई है । जनहित विधिक सेवा स्कीम के अधीन, जनहित विधिक सेवाओं का उपबंध करने के लिए 218 अधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं । न्याय मित्र दीर्घकालीन लंबित मामलो के निपटान में न्यायपालिका में सहायता करने के लिए अपेक्षित है तथा सीमांत वर्ग के व्यक्तियों को विधिक सलाह भी प्रदान करने के लिए है । न्याय मित्र स्कीम के अधीन, 15 न्याय मित्रों को पहले चरण में 6 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा में लगाया गया है ।

(iii) पूर्वोक्त पहलों के अतिरिक्त, सरकार द्वारा 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के आरंभ से आज की तारीख तक 6,302 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। जिसमें से 2,858 करोड़ रूपए (जिसमें आज की तारीख तक कुल रकम का 45.35% जारी की गई है) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को अप्रैल, 2014 से जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन तारीख 30-06-2014 को न्यायालय हॉल की कुल संख्या को 15,818 से बढ़ाकर 18,444 कर दिया गया है तथा तारीख 30-06-2014 को आवासीय ईकाइयों की संख्या को 10,211 से बढ़ाकर आज की तारीख तक 15,853 कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 2,709 न्यायालय हॉल तथा 1,472 आवासीय ईकाइयां निर्माणाधीन हैं। सरकार ने, 3,320 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि अर्थात् 01.04.2017 से 31.03.2020 से आगे जारी रहने का अनुमोदन कर दिया है।

(iv) इसके अतिरिक्त, कम्प्युट्रीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या में 11,3672 से बढ़ाकर 1,6089 की वृद्धि की गई है जिसमें 2014 से 2018 की अवधि के दौरान 2,417 की वृद्धि दर्ज की गई है। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रि़ड (एन जे डी जी) ने विकसित किया है जो नागरिकों को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में जिन्हें पहले ही कम्प्युट्रीकृत किया गया है, मामलों को फाईल करने, वाद प्रास्थिति और आदेशों और निर्णय की इलेक्ट्रानिक प्रतियों के बारे मे ऑनलाइन सुचना प्रदान करती है। 10.15, करोड़ मामले संबधित सूचना जिसके अर्न्तगत 2.75 करोड़ लंबित मामलें और 6.97 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णय इस पोर्टल पर उपलब्ध है।

(vi) ई-न्यायालय सेवाएं जैसे मामला रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे, वाद सूची, वाद प्रास्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय क्यू आर कोड (डाउनलोड किए गए 6.8 लाख मामले), ई-मेल सेवाएं एसएमएस पुश और पुल सेवाओं की प्रसुविधा के साथ ई-न्यायालय मोबाइल ऐप को सभी कम्प्युट्रीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय वेबपोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्रों (जेडएससी) के माध्यम से वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। ई-न्य़ायालय परियोजना को 127.06 करोड़ पर चरण दो के दौरान संव्यवहारों की कुल संख्या के साथ देश के शीर्ष 5 मिशन मोड परियोजना के मध्य दृढ़ता प्रदान कीगई है।

(vii) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 के अधीन गठित किया गया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने देश के आम नागरिकों के लिए सस्ते और सरल न्याय को उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए हैं। अधिनियम के अधीन राज्य, जिला और तालुक स्तर पर विधिक सेवा संस्थानों की स्थापना की गई है। विधिक सेवा संस्थानो के अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के अधीन पात्र व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने के लिए सभी उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों तथा उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। न्यायालय फीस के संदाय के साथ निःशुल्क विधिक सेवाएं अधिवक्ता और पेपर बुक आदि की तैयारी के लिए प्रदान की जाती है।

 कारागारों, संप्रेक्षण गृहों, किशोर न्याय बोर्ड और विधि महाविद्यालयों में स्थापित विधिक सहायता क्लीनिकों को पैनल वकीलों तथा विधि सेवा प्राधिकरणों के परा विधिक स्वयंसेवियों द्वारा चलाया जा रहा है। तारीख 31.03.2018 को देश में कुल 20,925 विधिक सहायता क्‍लीनिकों की स्‍थापना की गई है। नालसा ने, ऐसे लोगों के विशिष्ट प्रर्वगों जो राजनैतिक, सास्कृतिक, सामाजिक पर्यावरणीय शर्तों के कारण औपचारिक विधिक प्रणाली से बाहर हैं, के लिए स्कीमों तथा कार्यक्रमों को विकसित किया है । वर्ष 2017-18 के दौरान, उनके द्वारा विधिक सेवाओं के माध्‍यम से 8.22 लाख से अधिक व्‍यक्‍तियों को लाभ प्राप्‍त हुआ है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*